



चुनाव चिन्ह

चुनाव आयोग ने आगामी उपचुनाव के लिये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को "दो तलवारों के साथ ढाल" का चुनाव चिन्ह आवंटित किया।

- **चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968** चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार प्रदान करता है।

चुनाव चिन्हों से संबंधित प्रमुख बट्टि

■ परिचय:

- चुनावी/चुनाव चिन्ह किसी राजनीतिक दल को आवंटित एक **मानकीकृत प्रतीक** है।
- उनका उपयोग पार्टियों द्वारा अपने प्रचार अभियान के दौरान किया जाता है और **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs)** पर दर्शाया जाता है, जिससे मतदाता संबंधित पार्टी के लिये चिन्ह का चुनाव कर मतदान कर सकता है।
- इन्हें नरिक्षण लोगों के लिये मतदान की सुविधा हेतु प्रस्तुत किया गया था, जो मतदान करते समय पार्टी का नाम नहीं पढ़ पाते।
- 1960 के दशक में यह प्रस्तावित किया गया था कि चुनावी प्रतीकों का वनियमन, आरक्षण और आवंटन संसद के एक कानून यानी प्रतीक आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिये।
- इस प्रस्ताव के जवाब में नरिवाचन आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों की मान्यता **कीनगिरानी चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968** के प्रावधानों द्वारा की जाती है और इसी के अनुसार चिन्हों का आवंटन भी होगा।
 - नरिवाचन आयोग, चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य पार्टियों के रूप में मान्यता देता है। अन्य पार्टियों को केवल पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों के रूप में घोषित किया जाता है।
 - राष्ट्रीय या राज्य पार्टियों के रूप में मान्यता कुछ विशेषाधिकारों को पार्टियों के अधिकार के रूप में नरिधारित करती है जैसे- पार्टी प्रतीकों का आवंटन, टेलीविज़न और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिये समय का प्रावधान तथा मतदाता सूची तक पहुँच।
 - प्रत्येक राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय पार्टी को क्रमशः पूरे देश तथा राज्यों में उपयोग के लिये विशेष रूप से आरक्षणित एक प्रतीक चिन्ह आवंटित किया जाता है।

■ **चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968:**

- आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत चुनाव आयोग प्रतदिवंद्वी समूहों या किसी **मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल** के वर्गों के बीच विवादों का फैसला कर सकता है और इसके नाम तथा चुनाव चिन्ह पर दावा कर सकता है।
 - आदेश के तहत विवाद या वलिय के मुद्दों का फैसला करने के लिये नरिवाचन आयोग एकमात्र प्राधिकरण है। **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने वर्ष 1971 में सादिक अली और एक अन्य बनाम ECI में इसकी वैधता को बरकरार रखा।
- यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों के विवादों पर लागू होता है।
- **पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों** में वभिजन के मामलों में चुनाव आयोग आमतौर पर विवाद में शामिल गुटों को अपने मतभेदों को आंतरिक रूप से हल करने या अदालत जाने की सलाह देता है।
- चुनाव आयोग द्वारा अब तक लगभग सभी विवादों में पार्टी के प्रतिनिधियों/ पदाधिकारियों, सांसदों और वधायकों के स्पष्ट बहुमत ने एक गुट का समर्थन किया है।
- वर्ष 1968 से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव नियम, 1961 के संचालन के तहत अधिसूचना और कार्यकारी आदेश जारी किये।
- जसि दल को पार्टी का चिन्ह मिला था, उसके अलावा पार्टी के अलग हुए समूह को खुद को एक अलग पार्टी के रूप में पंजीकृत कराना पड़ा।
 - वे पंजीकरण के बाद राज्य या केंद्रीय चुनावों में अपने प्रदर्शन के आधार पर ही राष्ट्रीय या राज्य पार्टी की स्थिति का दावा कर सकते थे।

स्रोत: द हद्दि

